

सत्र 2024-25 के लिए कक्षा बाल वाटिका 1 में प्रवेश हेतु सूचना

1. कक्षा बाल वाटिका 1 में प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 20-04-2024 से केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश समय सारणी का अनुसरण करते हुए सभी कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक किया जायेगा।

2. कक्षा बाल वाटिका 1 में प्रवेश हेतु बच्चे की आयु निम्नवत होनी चाहिए।

कक्षा	बच्चे की आयु 31-03-2024 को ( 1अप्रैल कि तिथि भी अनुमान्य होगी)
कक्षा बाल- वाटिका -1	3 वर्ष से अधिक किन्तु 4 वर्ष से कम

3. सभी प्रवेश अभिभावक की सेवा श्रेणी के क्रम में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देश 2024-25 के अनुसार एवं प्रपत्रों के सत्यापन उपरांत ही किए जाएंगे।

4. अभिभावक अपने पाल्य को प्रवेश के दिन अवश्य साथ लाएं।

5. अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा।

6. जाली दस्तावेजों / तथ्यों का गलत रूप से प्रस्तुतीकरण / निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध न करा पाना, जैसी स्थितियों में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

7. प्रवेश के समय निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।


- 1) विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका द्वारा जारी इंटरनेट कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
- 2) निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनेक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- 3) विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन कॉपी)
- 4) विद्यार्थी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
- 5) विद्यार्थी का आधार कार्ड
- 6) अभिभावक का ईमेल
- 7) सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाण पत्र (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
- 8) सरकारी विभाग द्वारा जारी कर्मचारी के स्थानांतरणों का विवरण।
- 9) विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाण पत्र,
- 10) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र
- 11) जनरल कैटेगरी के चयनित आर टी ई आवेदक को EWS का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. शुल्क का विवरण :-

शुल्क विवरण		शुल्क
1	प्रवेश शुल्क	25 रु.
2	वी.वी.एन. (अप्रैल 2024-जून 2024) 500 रुपये प्रति माह	1500 रु.
कुल देय शुल्क		1525 रु.

9. प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में (ऑनलाइन अथवा काउंटर पर) निर्धारित अवधि में ही किया जाना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

10. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पत्रांक F. 110240/04/2013/KVS/Budget दिनांक 19-03-2013 के प्रावधानों के अनुसार सेवा श्रेणी 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों (सरकारी कर्मचारियों) को सामान्यतः किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु सेवा श्रेणी 1 से 4 तक के आवेदक को अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अधिकारी न होने का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।



प्राचार्य / PRINCIPAL

P.M. Shri Kendriya Vidyalaya  
Etawah (U.P.)